

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 728/2020

प्रार्थी:— हफसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति राजपूत निवासी धुन्धाड़िया,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:— तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित -


प्रार्थी की ओर से - अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़
अप्रार्थी की ओर से - सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

--:निर्णय:-

दिनांक:—12/3/22

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काशत सुदा भूमि खसरा नम्बर 95, 96, 97, 98, 110, 111, 112, 117, 145, 146, 147 कुल रकबा 15.3781 हैक्टेयर, मौजा बेगड़िया, पटवार हल्का थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त भूलवश प्रार्थी का नाम भैरूसिंह दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम हफसिंह है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, इत्यादि में प्रार्थी का नाम भैरूसिंह दर्ज है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रहीं त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 95, 96, 97, 98, 110, 111, 112, 117, 145, 146, 147 कुल रकबा 15.3781 हैक्टेयर, मौजा बेगड़िया, पटवार हल्का थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम भैरूसिंह दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम हफसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने



का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।


प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भैरूसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर हफसिंह पुत्र भंवरसिंह शुद्ध किया जाना उचित है, अप्रार्थी का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हफसिंह ही है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।


—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 95, 96, 97, 98, 110, 111, 112, 117, 145, 146, 147 कुल रकबा 15.3781 हैक्टेयर, मौजा बेगड़िया, पटवार हल्का थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भैरूसिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर हफसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।




सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक...12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां